**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16630/2025

Ramprakash S/o Babulal, Aged About 40 Years, R/o Rangpura Kota, District Kota, State.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16631/2025

Khalil Ahmed S/o Noor Ahmed, Aged About 36 Years, R/o Bhisti Pada Shripura Kota District Kota Raj.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Arafat Hussain, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Manvendra Singh, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**25/02/2026**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत पृथक–पृथक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस थाना बनेठा, टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2024 अपराध अंतर्गत धारा 188, 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, प्रकरण में जब्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होने के आधार पर उन्हें अभियुक्त बनाया गया है, वे अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रकरण में जब्त वाहनों में बजरी के अवशेष मिलना बताया गया है। जिन खाली डम्परों को जब्त किया गया है, उनके पंजीकृत स्वामी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को होना बताया गया है, उनसे कोई बरामदगी शेष नही है। उक्त वाहनों के ड्राईवर सहअभियुक्तगण शिवराज व रशीद खां की जमातन विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रामप्रकाश पुत्र बाबूलाल 2. खलील अहमद पुत्र नूर अहमद** की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे।
2. कि प्रार्थीगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।
3. कि प्रार्थीगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /100-101